

सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई

बनाम

मैसर्स हेवलेट पैकर्ड इंडिया सेल्स (पी) लिमिटेड।

30 अगस्त, 2007

{डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पंत, जे. जे.,}

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985; शीर्षक 84.71 और 85.24 और इसके तहत जारी की गई अधिसूचना संख्या 21/2002-कस्टम दिनांकित 1.3.2002:

वर्गीकरण-हार्ड डिस्क ड्राइव वाले लैपटॉप का आयात-सी. टी. एच. 84.71 या 85.24-निर्धारिती शुल्क में छूट का दावा कर रहा है-छूट की अधिसूचना-की प्रयोज्यता-निर्धारित किया गया कि: निर्धारिती ने कंप्यूटर के काम करने को नियंत्रित करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से लोड किए गए हार्ड डिस्क ड्राइव वाले लैपटॉप आयात किए-लैपटॉप का मूल्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है, जो पहले से लोड होता है-हार्ड डिस्क ड्राइव पर पहले से लोड किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप का एक अभिन्न अंग है- निर्धारिती ने केवल लैपटॉप आयात नहीं किए हैं बल्कि हार्ड डिस्क ड्राइव भी आयात की हैं जिन पर ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्डेड हैं-सॉफ्टवेयर सी. टी. एच. 85.24 के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य है और लैपटॉप सी. टी. एच. 84.71 के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य है-

इसलिए, राजस्व ने सी. टी. एच. 85.25 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य सॉफ्टवेयर के मूल्य के लिए कटौती का लाभ देते हुए इस प्रकार आयातित लैपटॉप को सी. टी. एच. 84.71 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य एक इकाई के रूप में सही ढंग से वर्गीकृत किया है।

शब्द और वाक्यांश: 'हार्ड डिस्क', 'प्लेटर' और 'सॉफ्टवेयर'-का अर्थ।

राजस्व ने प्रत्यर्थी-निर्धारिती द्वारा आयातित माल को शुल्क हेतु सीमाशुल्क टेरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 84.71 के अंतर्गत लैपटॉप के रूप में उत्तरदायी ठहराते हुए तथा उन्हें छूट अधिसूचना संख्या 21/2000-कस्टम दिनांकित 1.3.2002 का लाभ देने से इंकार करके उनसे सीमा शुल्क की एक निश्चित राशि की मांग की थी। निर्धारिती ने इसके खिलाफ सी. ई. एस. टी. ए. टी., न्यायाधिकरण के समक्ष इस प्रकार की गई मांग के विरुद्ध अपील दायर की जो न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार की गई। इसलिए वर्तमान अपील।

इस दीवानी अपील में निर्धारण के लिए जो सवाल उठा वह यह था कि क्या आयातित सामान, ऑपरेटिंग सिस्टम (सॉफ्टवेयर) जो कंप्यूटर के काम को नियंत्रित करता है और जो लैपटॉप (नोटबुक) में पहले से लोड होता है, सी. टी. एच. 85.24 के तहत शुल्क की 'शून्य' दर पर एक अलग इकाई के रूप में वर्गीकृत किए जाने योग्य है या सी. टी. एच. 84.71 के तहत उपयुक्त दर पर लैपटॉप के एक अभिन्न अंग के रूप में शुल्क हेतु वर्गीकृत किए जाने योग्य है।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1.1. राजस्व ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के सी. टी. एच. 84.71 के अंतर्गत लैपटॉप को एक मशीन के रूप में वर्गीकृत किया है और लैपटॉप के कुल मूल्य में से सॉफ्टवेयर के मूल्य को घटाते हुए निर्धारण योग्य मूल्य तय कर इस पर शुल्य की मांग की है जबकि निर्धारिती ने सी. टी. एच. 85.24 के तहत सॉफ्टवेयर लाड्डेड हार्ड डिस्क ड्राइव को लैपटॉप से पृथक रूप से वर्गीकृत किया है और अधिसूचना संख्या 21/2002-कस्टम दिनांकित 1.3.2002 के लाभ का दावा किया है।

(पैरा 7) (647-ए)

1.2 . निर्धारिती ने पहले से लोड किए गए हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी) वाले लैपटॉप आयात किए। उक्त ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम (सॉफ्टवेयर) के साथ पहले से लोड किए गए थे जो कंप्यूटर के काम को नियंत्रित करते हैं। लैपटॉप का मूल्य उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है, जो पहले से लोड है। कम्प्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं खुल सकता है। (पैरा 9) (648-डी)

1.3. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर के रूप में भी आयात किया जा सकता है जो कि एक सहायक की तरह है और जिसे राजस्व द्वारा सी. टी. एच. 85.24 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, एच. डी. डी. पर रिकॉर्ड किया गया एक प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप (इकाई) का एक अभिन्न अंग है।

(पैरा 9) (648-ई)

1.4. एक लैपटॉप सी. टी. एच. 84.71 के तहत वर्गीकरण योग्य एक एकल इकाई है। एक लैपटॉप एक छोटा पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह या तो बैटरी पर या बिजली से चलता है। लैपटॉप में एक स्क्रीन और एक छोटा कीबोर्ड होता है। (पैरा 9) (648-एफ)

1.5. लैपटॉप में एच. डी. डी. में रिकॉर्ड किया गया प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, आयातित वस्तु, लैपटॉप का एक अभिन्न अंग है। वर्तमान मामले में जो आयात किया गया था वह एक स्टैंड अलोन आइटम (इकाई) के रूप में एक लैपटॉप था। वर्तमान विवाद इकाई के लेन-देन मूल्य से संबंधित है। एक आयातक जो लैपटॉप खरीदता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लैपटॉप के लिए एक इकाई के रूप में भुगतान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, लैपटॉप काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं खुल सकता है। प्रत्यर्थी ने न केवल लैपटॉप का आयात किया है, बल्कि उसने एच. डी. डी. को भी आयात किया है जिन पर ऑपरेटिंग सिस्टम (पैकेज्ड साॉफ्टवेयर) रिकॉर्ड किया गया था, जिसे राजस्व द्वारा सी. टी. एच. 85.24 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, जब एक लैपटॉप को अंतर्निहित एच. डी. डी. पर रिकॉर्ड किए गए प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आयात किया जाता है तो उक्त वस्तु लैपटॉप (कंप्यूटर सिस्टम) का एक अभिन्न अंग है और इस स्थिति में राजस्व निर्धारिती द्वारा आयातित लैपटॉप को एक एकल इकाई के रूप में मानने में सही है।

राजस्व ने लैपटॉप को सी. टी. एच. 84.71 के तहत एक इकाई के रूप में सही तौर पर वर्गीकृत किया है। (पैरा 10) (648-जी; 649-ए, बी)

2. राजस्व ने लैपटॉप के मूल्य को एक इकाई के रूप में उचित रूप से लिया है और इसने सॉफ्टवेयर के मूल्य के लिए कटौती दी है। इस संगणना में कोई त्रुटि नहीं है, विशेष रूप से तब, जब निर्धारिती ने ऐसा करने के लिए बुलाए जाने के बावजूद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सॉफ्टवेयर का मूल्य देने से इनकार कर दिया हो। आयातित लैपटॉप सी. टी. एच. 84.71 के तहत वर्गीकरण योग्य थे, जबकि पैकेज्ड सॉफ्टवेयर के रूप में आयातित एच. डी. डी. पर रिकॉर्ड किए गए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सी. टी. एच. 85.24 के तहत वर्गीकरण योग्य थे। (पैरा 11 और 12) (649-सी, डी, ई)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की सिविल अपील सं. 5854

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई की अपील संख्या सी/पीडी/34/2006 और सी/46/2006 में पारित अंतिम आदेश संख्या 441/2006 दिनांक 26.05.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से विकास सिंह, ए. एस. जी., के. राधाकृष्णन, बीनू टम्टा और बी. कृष्ण प्रसाद।

प्रत्यर्थी की ओर से वी. लक्ष्मीकुमारन, आलोक यादव और एम. पी. देवनाथ।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे.के द्वारा दिया गया था

1. इस अपील में सीमा शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई (संक्षेप में 'सी. ई. एस. टी. ए. टी. ') द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया गया। विवादित फैसले से सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने माना कि सॉफ्टवेयर लोडेड हार्ड डिस्क सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'शुल्क अधिनियम') की पहली अनुसूची के शीर्ष 85.24 के तहत वर्गीकरण योग्य है। इसमें आगे यह भी निर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 21/2002-कस्टम के तहत शुल्क में छूट के लिए पात्र होगा। यह निर्धारित किया गया कि बाकी मशीन को शीर्षक 84.71 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं कि:

विभाग ने प्रत्यर्थी के द्वारा आयातित वस्तुओं को अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्षक 84.71 के तहत वर्गीकृत करके और उन्हें छूट अधिसूचना संख्या 21/2000-कस्टम दिनांक 1.3.2002 (यथा संशोधित) का लाभ देने से इंकार करते हुए उनसे करीब 5.9 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क की मांग की। सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष मांग पर सवाल उठाया

गया था। पूर्व-जमा को माफ करने और शुल्क की इस राशि के संबंध में वसूली को स्थगित करने के लिए एक आवेदन पेश किया गया था। अभिलेखों की जांच करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने *बार्बर शिप मैनेजमेंट (1) प्रा. लिमिटेड बनाम आयुक्त, (2000) 117 ई. एल. टी. 456 (त्रि.)* के साथ-साथ 2005 (126) ई. सी. आर. 124 (त्रि.-डेल) में रिपोर्ट किए गए निर्धारिती के अपने मामले में न्यायाधिकरण के फैसले को देखते हुए निर्धारिती के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया और तदनुसार, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने शुल्क राशि की पूर्व-जमा राशि से छूट प्रदान कर दी। इसके अलावा, दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने और मामले में शामिल उच्च दांव को ध्यान में रखते हुए, अपील को अंतिम निपटारे के लिए लिया गया।

प्रत्यर्थागण सी. टी. ए. की अनुसूची के शीर्षक 84.71 के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर, जिनमें लैपटॉप (जिसे अन्यथा 'नोटबुक' कहा जाता है) भी शामिल है, के निर्माण और व्यापार में लगे हुए हैं। उन्होंने विंडोज एक्सपी, एक्सपी होम आदि जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ पहले से लोड किए गए हार्ड डिस्क ड्राइवर्स (संक्षेप में हार्ड डिस्क) के साथ नोटबुक (लैपटॉप) का आयात किया। इन कंप्यूटरों के साथ अलग-अलग कॉम्पैक्ट डिस्क (सी. डी.) भी थे जिनमें वही सॉफ्टवेयर था, जिनका उपयोग हार्ड डिस्क की विफलता की स्थिति में किया जाना था। आयातक द्वारा दाखिल किए गए बिल ऑफ एंट्री ने लैपटॉप का मूल्य और सॉफ्टवेयर का मूल्य

अलग से घोषित किया, हार्ड डिस्क मूल्य सहित सॉफ्टवेयर मूल्य भी। बिल ऑफ एंट्री ने सॉफ्टवेयर से भरी हार्ड डिस्क को सी. टी. ए. अनुसूची के शीर्षक 85.24 के तहत वर्गीकृत किया और उक्त अधिसूचना संख्या 21/2000-कस्टम के क्र. सं. 157 के संदर्भ में छूट का दावा किया। ये बिल ऑफ एंट्री जुलाई 2005 में चेन्नई एयर कस्टम्स अथॉरिटीज के पास दाखिल किए गए थे। इससे बहुत पहले, 7.10.2003 दिनांकित एक पत्र द्वारा प्रत्यर्थीगण ने अतिरिक्त सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई को सूचित किया था कि वे *बार्बर शिप मेनेजमेंट*(उपरोक्त) के मामले में न्यायाधिकरण के फैसले को देखते हुए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से भरी हार्ड डिस्क के अलग-अलग निर्धारण के लिए बिल ऑफ एंट्री दाखिल करेंगे। यह भी सूचित किया गया कि वे उक्त अधिसूचना संख्या 21/2000-कस्टम के क्र. सं. 157 के तहत शुल्क में छूट का दावा करेंगे। इसके बाद, 11.10.2003 दिनांकित पत्र के आवरण के तहत, प्रत्यर्थीगण ने अतिरिक्त आयुक्त को उनके द्वारा आयातित 'नोटबुक' के विभिन्न मॉडलों के लिए ओ. ई. एम. की मूल्य सूची भी उपलब्ध करवाई थी। उन्होंने एक वर्कशीट भी प्रदान की थी जो अलग से हार्ड डिस्क के मूल्य, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के मूल्य और सीडी और प्रतिकृति शुल्क बताती थी।

इस बीच, दिल्ली में, उन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ पहले से लोड की गई हार्ड डिस्क के साथ लैपटॉप कंप्यूटरों का आयात किया था और शीर्षक 85.24 के तहत सॉफ्टवेयर लोड की गई हार्ड डिस्क ड्राइव के वर्गीकरण का

दावा किया था। विभाग ने शीर्षक 84.71 के संदर्भ में इन वस्तुओं पर शुल्क की मांग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस मांग की पुष्टि मूल प्राधिकारी द्वारा की गई थी, जिसके खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने निचले प्राधिकारी के निर्णय को कायम रखा। लेकिन न्यायाधिकरण को की गई अपील स्वीकार की गई और 2005 (126) ई. सी. आर. 124 (त्रि.-डेल) में प्रकाशित अंतिम आदेश संख्या 380/2005-एन. बी.-ए दिनांकित 11.10.2004 के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि सॉफ्टवेयर के साथ पहले से लोड किए गए हार्ड डिस्क ड्राइव का मूल्यांकन सी. टी. ए. अनुसूची के 85.24 के संदर्भ में उक्त अनुसूची के अध्याय 85 के नोट 6 के आधार पर अलग से किया जाना आवश्यक है।

हालाँकि, विचाराधीन वस्तुओं से व्यवहार करने वाले चेन्नई एयर कस्टम्स के मूल्यांकन अधिकारी ने, प्रत्यर्थागण से पूछा कि हार्ड डिस्क के मूल्य को शीर्षक 84.71 के तहत मूल्यांकन के उद्देश्य से 'नोटबुक' के मूल्य में क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थागण ने यह इंगित करते हुए जवाब दिया कि, *बार्बर शिप मैनेजमेंट*(उपरोक्त) के मामले में न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार, जिसे 2002 (144) ई. एल. टी. ए.293 में प्रकाशित अनुसार इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, सॉफ्टवेयर से भरी हार्ड डिस्क को केवल शीर्षक 85.24 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता था। उन्होंने अपने रुख के समर्थन में न्यायाधिकरण

द्वारा अपने मामले में पारित अंतिम आदेश संख्या 380/2005-एन. बी.-ए दिनांकित 11.10.2004 (उपरोक्त) का भी हवाला दिया। हालाँकि, आंकलन अधिकारी ने उनके तर्कों को वजन नहीं दिया, जो अस्थायी आधार पर बिल ऑफ एंट्री का आकलन करने के लिए अग्रसर हुआ। क्षेत्राधिकार रखने वाले सहायक सीमा शुल्क आयुक्त ने पक्षकार को सुनने और उनके निवेदन पर विचार करने के पश्चात, हार्ड डिस्क को नोटबुक-कंप्यूटर का अभिन्न अंग माना और तदनुसार ऑर्डर-इन-ओरिजिनल दिनांक 31.10.2005 पारित किया गया, जिसमें नोटबुक को उसमें इकट्ठी की गई हार्ड डिस्क के साथ शीर्षक 84.71 के तहत 'स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन' के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस आदेश को आयुक्त (अपील) द्वारा दिनांक 25.11.2005 के आदेश-इन-अपील के अनुसार बरकरार रखा गया था। अपीलीय आयुक्त के इस आदेश के आधार पर मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया गया। इसलिए शुल्क की मांग की गई जो आकलन योग्य मूल्य पर है जिसमें सॉफ्टवेयर के मूल्य को छोड़कर हार्ड डिस्क वाले नोटबुक कंप्यूटरों का मूल्य शामिल है। अपीलीय आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी।

3. न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी का रुख *बार्बर शिप मैनेजमेंट*(उपरोक्त) के मामले के निर्णय पर आधारित है जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा {202 (144) ई. एल. टी. ए. 293} में की गई थी। यह बताया गया कि दिल्ली में इसी तरह के सामानों के आयात से जुड़े उनके अपने मामले में न्यायाधिकरण ने सॉफ्टवेयर-लोडेड हार्ड डिस्क ड्राइव को

85.24 शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया था। यह तर्क दिया गया कि इस मामले में उठे विवाद को *बार्बर शिप मैनेजमेंट*(उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णायक रूप से तय किया जा चुका है और इसलिए, इस मामले में आगे जांच करने के लिए कुछ भी नहीं था। यह निवेदन किया गया कि सॉफ्टवेयर-लोडेड हार्ड डिस्क को “ध्वनि या अन्य समान रूप से रिकॉर्ड की गई घटनाओं के लिए रिकॉर्ड किया गया मीडिया... अध्याय 37 के उत्पादों को छोड़कर” के रूप में शीर्षक 85.24 के तहत वर्गीकृत किया जाना था। यदि बिना किसी अन्य उपकरण के आयात की जाती है, तो सॉफ्टवेयर रिकॉर्डेड हार्ड डिस्क ड्राइव के शीर्षक 85.24 के तहत वर्गीकरण पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए निचले अधिकारियों को सॉफ्टवेयर-लोडेड हार्ड डिस्क ड्राइव को 85.24 शीर्षक के तहत वर्गीकृत करने के लिए अध्याय 85 के नोट 6 की सहायता लेनी चाहिए थी। शीर्षक 85.24 के तहत एच. एस. एन. नोट्स का भी संदर्भ दिया गया था। यह निवेदन किया गया कि इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णयों के बावजूद निचले अधिकारी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच स्पष्ट अंतर पर ध्यान देने में विफल रहे थे। इस संबंध में, *सी. सी. ई. बनाम पी. एस. आई. डाटा सिस्टम*, (1989) 39 ई. एल. टी. 692 तथा *आयुक्त बनाम एसर इंडिया लिमिटेड*, (2004) 172 ईएलटी 289 में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया। *स्प्रींट आर. पी. जी. इंडिया लिमिटेड बनाम आयुक्त*, (2000) 116 ई. एल. टी. 6 एस. सी. के मामले में

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निर्णयाधार को निचले अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों पर गलत तरीके से लागू किया गया था।

4. नोटिस जारी करते समय इस न्यायालय ने नोट किया कि यह मामला *केंद्रीय आबकारी आयुक्त, पॉडिचेरी बनाम एसर इंडिया लिमिटेड*, (2004) 8 एससीसी 173 के मामले में इस न्यायालय के 3 न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित निर्णय से कवर होना प्रतीत होता है। लेकिन विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा तर्क दिया गया था कि क्या कंप्यूटर में फिट हार्ड डिस्क को एक सॉफ्टवेयर के रूप में माना जाएगा, यह प्रश्न उक्त मामले में विशेष रूप से नहीं निपटाया गया था। नोटिस जारी किया गया था और मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

5. एक संक्षिप्त प्रश्न जो इस दीवानी अपील में निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है यह है कि: क्या ऑपरेटिंग सिस्टम (सॉफ्टवेयर) जो कंप्यूटर के काम को नियंत्रित करता है और जिसे लैपटॉप (नोटबुक) में पहले से लोड किया जाता है, वह शुल्क की 'शून्य' दर पर सी. टी. एच. 85.24 के तहत एक अलग इकाई के रूप में वर्गीकरण योग्य है या शुल्क की उचित दर पर सी. टी. एच. 84.71 के तहत लैपटॉप के एक अभिन्न अंग के रूप में वर्गीकरण योग्य है।

6. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए सी. टी. एच. 85.24 और सी. टी. एच. 84.71 को उद्धृत करने की आवश्यकता है:

सी. टी. एच. 85.24:

“ध्वनि या समान रिकॉर्डिंग के साथ रिकॉर्ड किया गया मीडिया, चाहे वह उस उपकरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है जिसके लिए वे अभिप्रेत हैं या शीर्षक 84.69 से 84.72 (उदाहरण के लिए डिस्क पैक) की मशीनों के घटक भागों के साथ इकट्ठा किया गया हो या न हो, सभी मामलों में इस शीर्षक में वर्गीकृत किए जाने योग्य हैं।”

सी. टी. एच. 84.71

“स्वचालित डेटा प्रसंस्करण मशीनें और उनकी इकाइयाँ; चुंबकीय या ऑप्टिकल रीडर, डेटा मीडिया में कोडेड फॉर्म में डेटा को ट्रांसक्राइब करने के लिए मशीनें और इस तरह के डेटा को संसाधित करने के लिए मशीनें, जो और कहीं निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं।”

7. विभाग ने लैपटॉप को सी. टी. एच. 84.71 में एक मशीन के रूप में वर्गीकृत किया है और लैपटॉप के कुल मूल्य से सॉफ्टवेयर मूल्य को घटाकर निर्धारित निर्धारण योग्य मूल्य पर शुल्क की मांग की है, जबकि निर्धारिती ने सी. टी. एच. 85.24 के तहत सॉफ्टवेयर से भरी हार्ड डिस्क ड्राइव (संक्षेप में, 'एच. डी. डी.')

को कंप्यूटर से अलग वर्गीकृत किया है और अधिसूचना संख्या 21/2000-कस्टम दिनांकित 1.3.2002 के लाभ का दावा किया है।

8. उपरोक्त विवाद का उत्तर देने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क और प्लेटर शब्दों के अर्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है (देखेंः

माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर शब्दकोश- पाँचवाँ संस्करण पेज संख्या 489 ,
246 और 408 क्रमशः):

“हार्ड डिस्क। एक उपकरण जिसमें सामग्री के साथ लेपित एक या अधिक अनम्य प्लेट्स होते हैं जिसमें डेटा को चुंबकीय रूप से दर्ज किया जा सकता है, उनके पढ़ने/लिखने के सिर, सिर-स्थिति तंत्र, और एक कटाई मोटर के साथ सीलबंद डिब्बे में जो बाहर के प्रदूषक से सुरक्षा करती है। संरक्षित वातावरण सिर को एक थाली की सतह से एक इंच के 10 से 25 मिलियनवें हिस्से ऊपर उड़ने की अनुमति देता है जो आमतौर पर 3600 से 7200 आरपीएम पर घूमता है; इसलिए, एक फ्लॉपी डिस्क की तुलना में बहुत अधिक डेटा को बहुत जल्दी संग्रहीत और एक्सेस किया जा सकता है। अधिकांश हार्ड डिस्क में दो से आठ थाली होती हैं। चित्रण देखें। यह भी कहा जाता है: हार्ड डिस्क ड्राइव।

हार्ड डिस्क ड्राइव एन। हार्ड डिस्क देखें

प्लैटर। हार्ड डिस्क ड्राइव के भीतर धातु डेटा भंडारण डिस्क में से एक विशिष्ट डिस्क अधिकांश हार्ड डिस्क में दो से आठ थाली होती हैं। चित्रण देखें। हार्ड डिस्क भी देखें।

सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम; निर्देश जो हार्डवेयर से काम कराते हैं। दो मुख्य प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर (ऑपरेटिंग सिस्टम), जो कंप्यूटर के कामकाज को नियंत्रित करता है, और एप्लीकेशन्स, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट और डेटाबेस, जो उन कार्यों को करते हैं

जिनके लिए लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। दो अतिरिक्त श्रेणियाँ, जो न तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और न ही अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर हैं लेकिन जिनमें दोनों के तत्व होते हैं, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के समूहों को संचार के लिए सक्षम बनाता है, और भाषा सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्रामरों को प्रोग्राम लिखने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। इन कार्य-आधारित श्रेणियों के अलावा, वितरण की उनकी विधि के आधार पर कई प्रकार के सॉफ्टवेयर का वर्णन किया गया है। इनमें पैकेज्ड सॉफ्टवेयर शामिल हैं (डिब्बाबंद कार्यक्रम), मुख्य रूप से खुदरा दुकानों के माध्यम से बेचे जाते हैं; फ्रीवेयर और सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर, जो मुफ्त में वितरित किए जाते हैं; शेयरवेयर, जिसे भी निःशुल्क वितरित किया जाता है; हालाँकि कार्यक्रम के निरंतर उपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं से एक छोटे से पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है; और वेपरवेयर, सॉफ्टवेयर जिसकी एक कंपनी या व्यक्तियों द्वारा घोषणा तो की जाती है लेकिन या तो यह कभी बाजार में नहीं आता या बहुत देर से आता है। एप्लीकेशन, डिब्बाबंद सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, शेयरवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेपरवेयर, कम्पेयर फर्मवेयर, हार्डवेयर, लाइववेयर भी देखें।“

9. उपरोक्त शब्दकोश अर्थों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इसमें वे निर्देश शामिल होते हैं जिससे हार्डवेयर काम करता है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम

सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के कामकाज को नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, डेटाबेस आदि जो उन कार्यों को करते हैं जिसके लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, अब हमारे पास नेटवर्क सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के समूहों को संवाद करने में सक्षम बनाता है, और भाषा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामरों को वे उपकरण प्रदान करता है जिनके साथ वे प्रोग्राम लिखते हैं। हमारे पास पैकेज्ड सॉफ्टवेयर भी हैं जिन्हें खुदरा दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने प्रीलोडेड एच. डी. डी. वाले लैपटॉप आयात किए। उक्त ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम (सॉफ्टवेयर) के साथ पहले से लोड किए गए थे जो, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंप्यूटर के काम को नियंत्रित करता है। लैपटॉप का मूल्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है, जो पहले से लोड होता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं खुल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना लैपटॉप एक खाली इमारत की तरह है। इस स्तर पर, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर के रूप में भी आयात किया जा सकता है जो एक सहायक की तरह है और जिसे वर्तमान मामले में विभाग द्वारा सी. टी. एच. 85.24 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, एच. डी. डी. पर रिकॉर्ड किया गया एक प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप (इकाई) का एक अभिन्न अंग है। एच. डी. डी. पर इस तरह का प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप का एक अभिन्न अंग है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लैपटॉप एक स्टैंड अलोन इकाई के रूप में सी. टी. एच. 84.71 के तहत

वर्गीकरण योग्य है। लैपटॉप एक छोटा पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर (संक्षेप में 'पीसी') है। यह या तो बैटरी या बिजली से चलता है। लैपटॉप में एक स्क्रीन और एक छोटा कीबोर्ड होता है। अधिकांश लैपटॉप अपने डेस्क टॉप समकक्षों के समान सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। अधिकांश लैपटॉप फ्लोपी डिस्क, सीडी रॉम ड्राइव, बाहरी या आंतरिक मॉडेम आदि को स्वीकार करते हैं। एक नोटबुक कंप्यूटर एक लैपटॉप है। यह एक मशीन है। सी. डी. या फ्लोपी डिस्क परिधीय होती है।

10. उपरोक्त परीक्षणों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, हम इस मत के हैं कि लैपटॉप में एच. डी. डी. में रिकॉर्ड किया गया प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप (जो आयात की वस्तु है) का एक अभिन्न अंग है। वर्तमान मामले में जो आयात किया गया था वह एक स्टैंड अलोन आइटम (इकाई) के रूप में एक लैपटॉप था। वर्तमान विवाद इकाई के लेन-देन के मूल्य से संबंधित है। एक आयातक जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप खरीदता है, वह एक इकाई के रूप में लैपटॉप के लिए भुगतान करता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज, के बिना लैपटॉप काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं खुल सकता है। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने न केवल लैपटॉप आयात किए हैं, बल्कि उसने एच. डी. डी. भी आयात किए हैं जिन पर ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्ड किया गया था (पैकेज्ड सॉफ्टवेयर) जिसे विभाग द्वारा सी. टी. एच. 85.24 के तहत वर्गीकृत

किया गया है। हालांकि, जब एक लैपटॉप को एच. डी. डी. पर रिकॉर्ड किए गए इन-बिल्ट प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आयात किया जाता है तो उक्त वस्तु लैपटॉप (कंप्यूटर सिस्टम) का एक अभिन्न अंग बनती है और ऐसे मामले में विभाग लैपटॉप को प्रत्यर्थी द्वारा आयातित एक एकल इकाई के रूप में मानने में सही है। विभाग ने ऊपर उद्धृत सी. टी. एच. 84.71 के तहत लैपटॉप को एक इकाई के रूप में सही तौर पर वर्गीकृत किया है।

11. समापन से पहले यह इंगित किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी की ओर से उद्धृत किसी भी निर्णय में वर्तमान विवाद में उठाया गया प्रश्न कभी भी नहीं उठाया गया था। हालांकि लैपटॉप एक पीसी के समान है, लेकिन पहले वाला अधिक कॉम्पैक्ट है। इसे पीसी की तरह आसानी से असेम्बल नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, विभाग ने लैपटॉप का मूल्य एक इकाई के रूप में उचित रूप से लिया है और उसने सॉफ्टवेयर के मूल्य के लिए कटौती दी है। इस गणना में कोई त्रुटि नहीं है, विशेष रूप से, जब प्रतिवादी ने ऐसा करने के लिए बुलाए जाने के बावजूद न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सॉफ्टवेयर का मूल्य देने से इनकार कर दिया है।

12. उपर्युक्त कारणों से, हमारा विचार है कि आयातित लैपटॉप सी. टी. एच. 84.71 के तहत वर्गीकरण योग्य थे, जबकि पैकेज्ड सॉफ्टवेयर के रूप में आयातित एच. डी. डी. पर रिकॉर्ड किए गए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर

सी. टी. एच. 85.24 के तहत वर्गीकरण योग्य था और तदनुसार विभाग द्वारा दायर दीवानी अपील स्वीकार किए जाने योग्य है, और न्यायाधिकरण के विवादित फैसले को अपास्त किया जाता है। खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलें स्वीकार की गईं।

एसकेएस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वैभव कुमार टेलर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।